[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली , 17 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. (अ).-केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 248 की उपधारा (1), (2) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना), नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंम्भ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये 01 मई, 2023 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 4 में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) धारा 248 की उप-धारा (2) के अधीन एक कंपनी के नाम को हटाने के लिए एक आवेदन प्ररूप सं. एसटीके-2 में रजिस्ट्रार, त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र को दस हजार रूपये के शुल्क के साथ किया जायेगा।";

(ii) उप-नियम (3) में, खंड (iv) का लोप किया जाएगा;

(iii) उप नियम (3) के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3क) धारा 396 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित रजिस्ट्रार, त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र, धारा 248 के अधीन प्ररूप सं. एसटीके-2 मे किए गये आवेदनों तथा उससे संबंधित सभी मामलों के प्रसंस्करण और निपटान के कार्यात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के प्रयोजन से कंपनियों के रजिस्ट्रार होंगे, जिनका पूरे भारत में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होगा।"।

3. उक्त नियमों में, प्ररूप संख्या एसटीके-2, प्ररूप सं. एसटीके-6 और प्ररूप सं. एसटीके-7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूपों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप सं. एसटीके-2

भारत सरकार

प्ररूप की भाषा

● अंग्रेज़ी ○ हिंदी

कंपनी द्वारा कंपनियों के रजिस्टर से उसका नाम हटाने के लिए आरओसी को आवेदन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) और कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 4 (1) के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* *में* चिह्नित सभी फ़ील्ड *अनिवार्य हैं*

इकाई विवरण

1 * कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

2 (क) * कंपनी का नाम

(ख) * रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता

(ग) * कंपनी की ईमेल आईडी

(घ) * क्या धारा 248 (1) के अधीन रजिस्ट्रार से एसटीके-1 प्ररूप में नोटिस प्राप्त हुआ है। ○ हां ○ नहीं

(ङ) कंपनी के बंद होने के कारण

(निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार शुरू करने में विफल / दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए कोई भी कारोबार या संचालन नहीं कर रही है तथा धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति/प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है/ज्ञापन के अभिदाता ने उक्त अभिदान का भुगतान नहीं किया है जो उन्होंने निगमन के समय भुगतान करना था और इस आशय की घोषणा धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन निगमन के एक सौ अस्सी दिन के भीतर फाइल नहीं की गई है/कंपनी कोई कारोबार या संचालन नहीं कर रही है धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन किए गए भौतिक सत्यापन के बाद जिसका पता चला है।)

3 * क्या कंपनी को सूची से हटाया किया गया है ○ हाँ ○ नहीं

4 * क्या कंपनी की कार्यकलापों को किसी विशेष अधिनियम के अधीन आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई आदि जैसे एक क्षेत्रीय विनियामक द्वारा विनियमित किया जाता है ○ हाँ ○ नहीं

(क) यदि हाँ, तो नियामक का नाम निर्दिष्ट करें

(भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण/ अन्य)

यदि अन्य हैं, तो कृपया ______________ निर्दिष्ट करें

(ख) विनियामक निकाय के अनुमोदन की तारीख *(दिन/माह/वर्ष)*

5 * क्या नाम को हटाने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है ○ हां ○ नहीं

संबंधित प्ररूप संख्या एमजीटी-14 का एसआरएन (विशेष प्रस्ताव फाइल करने के लिए)

6 * संगम ज्ञापन (एमओए) के अनुसार कंपनी के मुख्य उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण

7 कंपनी के निदेशक(कों), प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव, सीईओ या सीएफओ के विवरण

*निदेशक (कों), प्रबंध निदेशक, प्रबंधक, सचिव, सीईओ या सीएफओ की संख्या

(निदेशक या प्रबंध निदेशक के मामले में, निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) दर्ज करें। अन्यथा आयकर-स्थायी खाता संख्या (आयकर-पैन) या पासपोर्ट नंबर उपबंध करें)

(क) *डीआईएन या आयकर पैन या पासपोर्ट संख्या ○ डीआईएन ○ पैन ○ पासपोर्ट नंबर

(ख) *नाम

(कंपनी से जुड़े निदेशक(ओं)/केएमपी (ओं))

(ग) *पद

(घ) वर्तमान आवासीय पता

* पता पंक्ति I

पता पंक्ति II

* देश

* पिन कोड

* क्षेत्र/स्थानीयता

* शहर

* जिला

* राज्य

8 (क) * क्या कंपनी के विरुद्ध या इसमें शामिल या इसके निदेशकों में किसी पर कोई मुकदमा लंबित है ○ हां ○ नहीं

(ख) लंबित मुकदमे के संबंध में ब्यौरा

अधिनियम जिसके अधीन मुकदमेबाजी लंबित है	**उस प्राधिकारी का नाम जिसके समक्ष यह लंबित है**	**मामला संख्या**	**विषय**
i	ii	iii	iv

पंक्ति जोड़ें पंक्ति हटाएँ

घोषणा

9 मैं, * [ ] पुत्र/पुत्री श्री [ ] एमडी / निदेशक * [ ]
अधिनियम की धारा 248 के अधीन कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए यह आवेदन करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि:

(i) मुझे कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने के लिए इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए निदेशक मंडल के संकल्प संख्या* [ ] तारीख * [ ] द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

(ii) आवेदन धारा 248 की उप-धारा (1) और (2) और धारा 249 की उप-धारा (1) के अधीन उल्लिखित शर्तों के अनुसार किया गया है;

(iii) कंपनी के विरुद्ध इस तरह के निरीक्षण या जांच से उत्पन्न कोई निरीक्षण या जांच का आदेश नहीं दिया गया है और न ही किया गया है या अभी तक नहीं किया गया है या किया जाना है और जहां निरीक्षण या जांच की गई है, ऐसे निरीक्षण या जांच से उत्पन्न कोई अभियोजन किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है;

(iv) कंपनी के पास न तो कोई सार्वजनिक जमाराशियां हैं जो बकाया हैं और न ही उसके पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज पर कोई कंपनी चूक कर रही;

(v) कंपनी के पास कोई बकाया ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं है;

(vi) कंपनी पर आयकर, वैट, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, सेवा कर या कार्य चाहे किसी भी नाम से ज्ञात है, केंद्रीय या किसी भी राज्य सरकार, विधिक प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण को देय हो किसी अन्य कर के प्रति कोई बकाया नहीं है।

(vii) कंपनी की अन्य सभी देयताओं का निपटान कर दिया गया है या उनका निर्वहन कर दिया गया है या समाप्त कर दिया गया है;

(viii) कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाने और उसके आनुषंगिक या पूरक मामलों से संबंधित अधिनियम की सभी अपेक्षाएं और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम का अनुपालन किया गया है;

(ix) मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस आवेदन में दी गई जानकारी और इसके संलग्नक सही और पूर्ण हैं;

(x) अपेक्षित शुल्क का भुगतान किया जाएगा;

(xi) प्रदत्त शेयर पूंजी के निबंधनों के अनुसार पचहत्तर प्रतिशत सदस्यों की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

मैं/हम समझता हूं/समझते है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 251 के अधीन यदि आवेदन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 और 249 के साथ पठित धारा 251 के अंतर्गत किसी भी स्तर पर धोखाधड़ी वाला पाया जाता है, तो मैं/हम दंड के लिए उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक

(क) *खातों का वह विवरण जो एसटीके-8 में आवेदन की तारीख से तीस दिन पहले से अधिक का नहीं है जो कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों को दर्शाता हो। [अधिकतम 2 एमबी] [फाइल चुनें] [हटाना] [डाउनलोड]

एक्सेल में प्ररूप से जुड़ी कंपनी की संपत्ति और देनदारियों को दर्शाने वाले खातों का विवरण जो एक दिन में, आवेदन की तारीख से तीस दिन से अधिक पूर्व में नहीं बनाया गया है

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना [डीएससी बॉक्स]

* नाम [ ]

* पदनाम [ ]

* सदस्यता संख्या/व्यवसायरत प्रमाण पत्र की संख्या

(ख) *प्ररूप सं एसटीके-3 में क्षतिपूर्ति बांड [निदेशक (कों) द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से दिया जाना है] या प्रशासनिक मंत्रालय के अधिकृत प्रतिनिधि/विभाग द्वारा प्ररूप संख्या एसटीके - 3क (जैसा लागू हो) में क्षतिपूर्ति बांड — अधिकतम 2 एमबी | फ़ाइल चुनें | हटाना | डाउनलोड

(ग) संबंधित नियामक प्राधिकरण के आदेश/एनओसी की प्रति — अधिकतम 2 एमबी | फ़ाइल चुनें | हटाना | डाउनलोड

(घ) संबंधित स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टिंग के लिए प्रासंगिक आदेश की प्रति, यदि कोई हो, — अधिकतम 2 एमबी | फ़ाइल चुनें | हटाना | डाउनलोड

(ङ) *प्ररूप सं एसटीके-4 में शपथ पत्र — अधिकतम 2 एमबी | फ़ाइल चुनें | हटाना | डाउनलोड

(च) वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो — अधिकतम 2 एमबी | फ़ाइल चुनें | हटाना | डाउनलोड

---

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना — डीएससी बॉक्स

* निदेशक की निदेशक पहचान संख्या;

कार्यरत पेशेवर द्वारा प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के प्रयोजन से सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंध और इस प्ररूप से संबंधित नियमों का अध्ययन किया है और मैंने कंपनी/आवेदक द्वारा रखे गए मूल रिकॉर्ड से उपरोक्त विवरणों (संलग्नक (अनुलग्नकों सहित) को सत्यापित किया है जो इस प्ररूप की विषय वस्तु है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप की कोई भी सूचना संबंधी सामग्री छुपाई नहीं गई है।

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना — डीएससी बॉक्स

○ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत में)

○ लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत में)

○ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायरत में)

* एसोसिएट या फेलो हैं — ○ एसोसिएट ○ फेलो

* सदस्यता संख्या

व्यवसायरत संख्या का प्रमाण-पत्र

• टिप्पण: धारा 449 के उपबंध पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है जो झूठे सबूतों के लिए दंड का उपबंध करता है।

सेव | जमा

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)	
ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	
अधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर	
यह ई-प्ररूप इसके द्वारा अनुमोदित है	डीएससी बॉक्स
इस ई-प्ररूप को अस्वीकार कर दिया जाता है	डीएससी बॉक्स
हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)	

प्ररूप सं. एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (1) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र

(सी-पेस का पता और ई-मेल)

सार्वजनिक सूचना सं..............................　　　　**तारीखः.......................**

विनिर्देश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के अधीन कंपनियों का नाम हटाने के संबंध मेः

1. मैसर्स ________________ [आरओसी............../248(2)/.............../वर्ष]
2. मैसर्स ________________
3. मैसर्स ________________

एतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी रजिस्ट्रार को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के अधीन उपर्युक्त कंपनियों से कंपनियों के रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे या तो इस आधार पर कि वे अपने निगमन के एक वर्ष के भीतर व्यवसाय शुरू करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती दो वितीय वर्षो से कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त की है / ज्ञापन के अभिदाताओं ने उस अभिदान का भुगतान नहीं किया है जो उन्होंने किसी कंपनी के निगमन के समय भुगतान करने का वचन किया था और इस आशय की घोषणा धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन इसके निगमन के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर दायर नहीं की है/ कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है, जैसा कि धारा 12 की उप-धारा (9) के तहत किए गए अस्तित्व जांच के बाद पता चला है, किंतु यह / वे कंपनियों के रूप में अपना पंजीकरण जारी नहीं रखना चाहते हैं और इसलिए, कंपनियों के रजिस्टर से अपने नाम हटाने का अनुरोध किया।

(2) तदनुसार, कंपनी रजिस्ट्रार का प्रस्ताव उपर्युक्त कंपनियों के नामों को कंपनी रजिस्टर से हटाने का है।

(3) कंपनियों के रजिस्टर से प्रस्तावित हटाने या कंपनियों के नाम को हटाने पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र <प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम>

कंपनी रजिस्ट्रार/कंपनी के अतिरिक्त रजिस्ट्रार/कंपनी के संयुक्त रजिस्ट्रार/
कंपनी के उप रजिस्ट्रार/कंपनी के सहायक रजिस्ट्रार
संबंधित अधिकारिता वाले कंपनी रजिस्ट्रार के लिए निमित्त और उनकी ओर से

कंपनी रजिस्ट्रार

त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र

प्ररूप सं. एसटीके-7

नाम हटाने तथा विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) और कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसार]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

≤त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र /कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय≥

(≤ *सी-पेस सी-पेस /आरओसी का पता*≥)

नोटिस सं......................... **तारीखः**

संदर्भः

कंपनी अधिनियम, 2013 और **अनुलग्नक 'क'** के रूप में संलग्न सूची के अनुसार कंपनियों के मामले में।

यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और अनुलग्नक-क में उल्लिखित एसआरएन जो आवेदन (प्ररूप एसटीके 2) के बारे में हैं, और प्ररूप एसटीके-5 में नोटिस दिनांक'............. से संबंधित है। नोटिस प्रकाशित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 उपधारा (5) के अनुसार अनुलग्नक "क" के अनुसार संलग्न सूची के अनुसार कंपनियों का नाम या कंपनी का नाम------------कंपनियों के रजिस्टर से इस दिन <तारीख> हटा दिया गया है तथा उक्त कंपनियों को विघटित कर दिया गया है।

अनुलग्नक क

क्र.सं.	एसटीके-2 का एसआरएन	एसटीके-2 फाइलिंग की तारीख	सीआईएन	कंपनी का नाम	एसटीके-6 नोटिस सं.	एसटीके-6 के नोटिस की उत्पत्ति तिथि

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र <प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम>

कंपनी रजिस्ट्रार/कंपनी के अतिरिक्त रजिस्ट्रार/कंपनी के संयुक्त रजिस्ट्रार/
कंपनी के उप रजिस्ट्रार/कंपनी के सहायक रजिस्ट्रार
संबंधित अधिकारिता वाले कंपनी रजिस्ट्रार के लिए निमित्त और उनकी ओर से

कंपनी रजिस्ट्रार

त्वरित कारपोरेट समापन प्रसंस्करण केन्द्र

[या]

कंपनी रजिस्ट्रार/कंपनी के अतिरिक्त रजिस्ट्रार/कंपनी के संयुक्त रजिस्ट्रार/
कंपनी के उप रजिस्ट्रार/कंपनी के सहायक रजिस्ट्रार

[फा.सं. 1/28/2013-सीएल-V (पार्ट-III)]

मनोज पाण्डेय

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि.1174(अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2016 के द्वारा प्रकाशित किये गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 355(अ) तारीख 12 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. 350 (अ) तारीख 8 मई, 2019, सा.का.नि. 420(अ) तारीख 29 जून, 2020 सा.का.नि. 436(अ) तारीख 9 जून, 2022 और सा.का.नि. 658(अ) तारीख 24 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित किये गए थे।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the date 17th April, 2023

G.S.R……..(E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2) and (4) of section 248 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016 , namely:-

1. **Short title and commencement**.- (1) These rules may be called the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on 01st May, 2023.

2. In the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016 (hereafter referred to as the said rules), in rule 4,-

(i) for sub-rule (1), following sub–rule shall be substituted, namely :-

"(1) An application for removal of name of a company under sub-section (2) of section 248 shall be made to the Registrar, Centre for Processing Accelerated Corporate Exit in Form No. STK-2 along with fee of ten thousand rupees.";

(ii) in sub-rule (3), clause (iv) shall be omitted;

(iii) after sub-rule (3) the following shall be inserted, namely :-

"(3A) The Registrar, Centre for Processing Accelerated Corporate Exit established under sub-section (1) of section 396, shall be the Registrar of Companies for the purposes of exercising functional jurisdiction of processing and disposal of applications made in Form No. STK-2 and all matters related thereto under section 248 having territorial jurisdiction all over India.".

3. In the said rules, for Form No. STK-2, Form No. STK-6 and Form No. STK-7 the following Forms shall be substituted, namely:-

Form No. STK-2

भारत सरकार

Form language

● English ○ Hindi

Application by company to ROC for removing its name from register of companies

[Pursuant to Section 248(2) of the Companies Act, 2013 and Rule 4(1) of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Refer instruction kit for filing the form

*All fields marked in * are mandatory*

Entity Details

1 *Corporate Identification Number (CIN) [ ]

2 (a) *Name of the company [ ]

(b) *Registered office address [ ]

(c) *Email id of the company [ ]

(d) *Whether notice has been received from Registrar in Form STK-1 under section 248(1) ○ Yes ○ No

(e) Reasons for closure of the company [▼]

(Failed to commence business within one year of incorporation/ Not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has not made any application within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455/ The subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of incorporation under sub-section (1) of section 10A/The company is not carrying on any business or operations as revealed after the physical verification carried out under subsection (9) of the section 12)

3 *Whether the company has been delisted ○ Yes ○ No

4 *Whether the company's activities is/are regulated by a Sectoral Regulator like RBI, SEBI, IRDAI etc. under a special Act ○ Yes ○ No

(a) If Yes, specify Name of the regulator [▼]

(Reserve Bank of India/ Securities and Exchange Board of India/Insurance Regulatory and Development Authority/ Others)

If Others, please specify ___________ [ ]

(b) Date of approval of regulatory body *(DD/MM/YYYY)* [ ]

5 *Whether special resolution is passed for removal of name ○ Yes ○ No

SRN of related Form No. MGT-14 (for filing of Special Resolution) [ ]

6 *Brief description of main objects of the company as per Memorandum of Association (MOA)

7 Details of director(s), Managing Director, Manager, Secretary, CEO or CFO of the company

*Number of director(s), Managing Director, manager, secretary, CEO or CFO

(In case of director or Managing Director, enter Director Identification Number (DIN). Otherwise provide Income tax-permanent account number (Income tax- PAN) or passport number)

(a) *DIN or Income-tax PAN or Passport number ◯ DIN ◯ PAN ◯ Passport number

(b) *Name

(Director(s)/ KMP(s) associated with the Company)

(c) *Designation

(d) Present residential address

*Address Line I

Address Line II

*Country

*Pin code

*Area/Locality

*City

*District

*State

8 (a) *Whether there are any litigations pending against or involving the company or any of its directors ◯ Yes ◯ No

(b) Details in respect of pending litigation

Act under which litigation is pending	Name of the authority before which it is pending	Case number	Subject matter
i	ii	iii	iv

Add Row Delete Row

Declaration

9 I, * [ ] son/daughter of * [ ] MD/Director of * [ ]

hereby make this application for removing the name of the company from the register of companies under section 248 of the Act and declare that:

(i) I have been authorized by the Board of Directors' resolution No. * [ ] dated * [ ] to sign and submit this application for removal of name of the company from the register of companies;

(ii) The application has been in accordance with the conditions mentioned under sub-section (1) and (2) of section 248 and sub-section (1) of section 249;

(iii) There is no inspection or investigation ordered and carried out or yet to be carried out or being carried out against the company and where inspection or investigation have been carried out, no prosecution is pending in any court arising out of such inspection or investigation;

(iv) The company is neither having any public deposits which are outstanding nor the company is in default in its repayment or interest thereon;

(v) The company does not have any outstanding loans, secured or unsecured;

(vi) The company does not have any dues towards income tax, VAT, excise duty, GST, service tax or any other tax or duty, by whatever name called, payable to the Central or any State Government, statutory authority or local authority.

(vii) All the other liabilities of the company have been settled or discharged or extinguished;

(viii) All the requirements of the Act and rules made there under relating to removing the name of the company from the register of companies and matters incidental or supplemental thereto have been complied with;

(ix) To the best of my knowledge and belief, the information given in this application and its attachments is correct and complete;

(x) The requisite fees would be paid;

(xi) Consent of seventy-five percent members in terms of paid-up share capital has been obtained.

I/we understand that I/We shall be liable for punishment as provided under section 251 of the Companies Act, 2013 if the application is found to be fraudulent at any stage within the meaning of section 251 read with sections 248 and 249 of the Companies Act, 2013.

Attachments

(a) *A statement of accounts showing the assets and liabilities of the Company made up to a day, not more than thirty day before the date of application in STK-8. [Max 2 MB] [Choose File] [Remove] [Download]

The statement of accounts showing the assets and liabilities of the Company attached to the form in excel is made up to a day, not more than thirty days before the date of application

*To be digitally signed by [DSC BOX]

*Name [ ]

*Designation [ ]

*Membership Number/Certificate of Practice Number [ ]

(b) *Indemnity bonds [to be given individually or collectively by the director(s)] in Form No. STK-3 or Indemnity bonds by an authorised representative of administrative Ministry /Department in Form No. STK - 3A (as applicable) — Max 2 MB | Choose File | Remove | Download

(c) Copy of order / NoC of the concerned regulatory authority — Max 2 MB | Choose File | Remove | Download

(d) Copy of relevant order for delisting, if any, from the concerned Stock Exchange — Max 2 MB | Choose File | Remove | Download

(e) *Affidavit in Form No. STK-4 — Max 2 MB | Choose File | Remove | Download

(f) Optional attachment - if any — Max 2 MB | Choose File | Remove | Download

---

*To be digitally signed by — DSC BOX

*Director identification number of the director;

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder relevant to this form and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

*To be digitally signed by — DSC BOX

○ Chartered accountant (in whole-time practice)

○ Cost accountant (in whole-time practice)

○ Company secretary (in whole-time practice)

*Whether associate or fellow ○ Associate ○ Fellow

*Membership number

Certificate of practice number

***Note: Attention is also drawn to provision of section 449 which provides for punishment for false evidence.**

Save | Submit

For office use only:

e-Form Service request number (SRN)

e-Form filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorizing officer

This e-form is hereby approved	DSC BOX
This e-form is hereby rejected	DSC BOX
Date of signing (DD/MM/YYYY)	

FORM No. STK --6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

(Address and email id of C-PACE)

Public Notice No.--------------- **Date:------------**

Reference:

In the matter of striking off or removal of names of companies under section 248 (2) of the Companies Act, 2013 in respect of :

1. M/s.____________ [RoC........../248(2)/........./Year]
2. M/s.____________
3. M/s.____________

Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above-mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company(ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company/subscribers to the memorandum have not paid the subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of a company and a declaration to this effect has not been filed within one hundred and eighty days of its incorporation under subsection (1) of section 10A/ have not been carrying on any business or operations, as revealed after the physical verification carried out under sub-section (9) of section 12, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above-mentioned companies from the Register of Companies.

(3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

Digital Signature Certificate <Full name of the Authorising officer >

Registrar of Companies/Additional Registrar of Companies/Joint Registrar of Companies/Deputy Registrar of Companies/Assistant Registrar of Companies
For and on behalf of the Jurisdictional Registrar of Companies

Registrar of Companies

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

FORM No. STK – 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Government of India
Ministry of Corporate Affairs

≤Centre for Processing Accelerated Corporate Exit/ Office of the Registrar of Companies>
(Address of ≤C-PACE C-PACE/RoC>)

Notice No- ---------- **Date:**

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of Companies as per list attached as **Annexure "A".**

This is with respect to this Office Notice Nos and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned in the Annexure-'A and notice in form STK-5 issued on dated'----------. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of Companies as per list attached as per Annexure "A" or the name of company----------have or has this day <date> been struck off from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

Annexure A

S. No	SRN of STK-2	Filing date of STK-2	CIN	Company Name	STK-6 Notice no.	STK-6 Notice generation date

Digital Signature Certificate <Full name of the Authorising officer >

Registrar of Companies/Additional Registrar of Companies/Joint Registrar of Companies/Deputy Registrar of Companies/Assistant Registrar of Companies
For and on behalf of the Jurisdictional Registrar of Companies

Registrar of Companies

Centre for Processing Accelerated Corporate Exit

[Or]
Registrar of Companies
Registrar of Companies/Additional Registrar of Companies/Joint Registrar of Companies/Deputy Registrar of Companies/Assistant Registrar of Companies

[F. No. 1/28/2013-CL-V(Part-III)]

MANOJ PANDEY, Joint Secretary

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 of Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1174(E), dated the 26th December, 2016 and amended, *vide* notification numbers G.S.R 355(E), dated the 12th April, 2017 , G.S.R 350(E) dated the 8th May, 2019, G.S.R 420(E), dated the 29th June, 2020, G.S.R. 436(E), dated the 9th June, 2022 and G.S.R. 658(E), dated the 24th August, 2022 .